प्रस्तुति

आज देश जिन बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, उनमें से दो बड़ी चुनौतियाँ हैं– गरीबी और बेरोजगारी। काश हमें कोई जादूई छड़ी हाथ लग जाती, जिसको घुमा देने से देश की गरीबी पलक झपकते दूर हो जाती। हर हाथ को रोजगार मिल जाता। हर भूखे को रोटी मिल जाती।

लेकिन दुर्भाग्य! ऐसी जादूई छड़ी मिलने की संभावना दूर–दूर तक नजर नहीं आती है। पर यह भी सच है कि हर अंधकार में प्रकाश की एक किरण जरूर मिल जाती है। अगर गरीबी अथवा बेरोजगारी है, तो उसका कोई कारण भी जरूर होगा। यदि हम गरीबों की रोजी–रोटी और उनके दैनंदिन जीवन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करें, तो पाएंगे कि लाइसेंस–परमिट व्यवस्था और सरकारी 'रेगुलेशन' गरीबी और बेरोजगारी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

हम जानते हैं कि भारत सरकार लंबे समय से लाइसेंस, परमिट और कोटा वाली बंद अर्थव्यवस्था के मार्ग पर चलती रही है। जबकि उस पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था ने धीरे–धीरे इस ओर कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिये हैं। 1991 में उदारीकरण की दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये। जैसे–

- आयात और निर्यात पर से कई तरह के अवरोधों को हटा लिया गया।
- औद्योगिक क्षेत्र से लाइसेंस–परमिट–कोटा राज का खात्मा कर दिया गया।

इत्यादि।

पर बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों में, जिनसे गरीबों की रोजी–रोटी चलती है, अभी भी लाइसेंस–परमिट–कोटा राज जारी है।

सरकार की लाइसेंस–परमिट–कोटा पद्धति के विरुद्ध लोग यदा–कदा अंगुली तो उठाते रहे हैं। पर वे उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाने को भी पूरी तरह तैयार नहीं है। इस संबंध में वे कई भ्रामक धारणाओं के शिकार हैं।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1991 में जिन क्षेत्रों में उदारीकरण की हवा चली, उन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ काफी तेज हुईं तथा उन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा हुआ। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में लाइसेंस, परमिट, कोटा के माध्यम से सरकारी नियंत्रण तथा सरकारी 'रेगुलेशन' जारी है, उनका हाल खस्ता है। उससे जुड़े लोग गरीबी के शिकार हैं।

सरकार की लाइसेंस–परमिट–कोटा पद्धति ने आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक मूल्यों का काफी नुकसान किया है।

रिक्शा क्षेत्र में सरकारी 'रेगुलेशंस' का प्रभाव इसका एक जीता–जागता उदाहरण

है। आज दिल्ली में पाँच लाख से अधिक रिक्शे चल रहे हैं, जो लोगों को सस्ती, सुलभ व प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें से सिर्फ 75,000 रिक्शों को ही लाइसेंस प्राप्त है। दिल्ली नगर निगम ने रिक्शा के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर रखा है और अधिकतम 99,000 लाइसेंस जारी करने का ही निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप 80 फीसदी रिक्शे अवैध हो गये हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री कार्यालय से एक निर्देश जारी कर लाइसेंस की इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था, पर लाइसेंस की बाध्यता को फिर से बहाल कर दिया गया, क्योंकि इससे कुछ लोगों स्वार्थ जुड़ा हुआ था। इस बिना वजह बनायी गयी अवैधानिकता से रिक्शा चालक नियमित उत्पीड़न और जबरन वसूली के शिकार होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक रिक्शा चालक औसतन 200 रु॰ हर माह पुलिस व सरकारी अधिकारियों को रिश्वत के रूप में देता है। इस तरह से कुल मिलाकर लगभग आठ करोड़ रु॰ प्रति माह पुलिस और नगर निगम अधिकारियों द्वारा रिक्शा चालकों से जबरन वसूला जाता है। रिक्शा को वैध बनाने के नाम पर इतना बड़ा अवैध कारोबार! वह भी सरकारी अधिकारियों द्वारा! आखिर रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत ही क्या है ? इस लाइसेंस ने गरीबों का जीना ही दूभर नहीं किया है, बल्कि सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को भी जन्म दिया है। यही लाइसेंस–परमिट राज ऑटो रिक्शा, कुलीगिरी, छोटे–मोटे खुदरा व्यापार, विद्यालय संचालन, आदि कई दूसरे क्षेत्रों में भी व्याप्त है। वस्तुतः सरकार ने जिस उच्च उद्देश्य को ध्यान में रख कर रेगुलेशन अपने हाथों में लिया, उसका ठीक उलटा असर हुआ है। उदाहरणस्वरूपः

- कम पैसे और दक्षता से शुरू किये जा सकने वाले जिन रोजगारों से गरीबों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकता था, उसमें प्रवेश पर सीमा लगा दी गयी,जबकि दूसरी ओर सरकार, मीडिया और अर्थशास्त्री बेरोजगारी का रोना रोते हैं।
- जो इन विरोधी परिस्थितियों की चिंता किये बिना रोजगार में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हे अवैध करार दिया जाता है और फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके शोषण और उत्पीड़न का एक सिलसिला शुरू हो जाता है।
- व्यवसाय से कमाया पैसा जब रिश्वत और जबरन वसूली में खर्च होता है, तो निश्चित रूप से व्यवसाय के प्रसार तथा आवश्यक निवेश के लिए पैसे की कमी होगी। इस कारण गरीब हमेशा गरीब रहने के लिए अभिशप्त है।
- ये सरकारी 'रेगुलेशंस' कुछ मामलों में प्रत्यक्ष तौर पर तो कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष तौर पर व्यवसाय को फैलने से रोकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक "आर्थिक स्वतंत्रता का संघर्षः रोजी–रोटी को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति" में साधारण रोजगारों से जुड़े आम आदमी की दुर्दशा की छानबीन कर संक्षेप में उसकी झलक पेश की गयी है। तथा निजी संपत्ति का अधिकार, 'लाइसेंस–परमिट–कोटा' से मुक्ति, सरकारी रेगुलेशन का खात्मा, आदि सिद्धांतों के माध्यम से इन रोजगारों की स्थिति में सुधार के विभिन्न सुझाव रखे गये हैं। मोटे तौर पर इन आर्थिक सुधार के सुझावों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। ये

दिल्ली ही नहीं वरन् संपूर्ण भारत के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं।

सुधार के सुझाव:

- लाइसेंस–परमिट–कोटा वाली सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था का दामन छोड़ें।

आज विद्यालय खोलने, दुकान या ढाबा खोलने, आइसक्रीम, पानी, फल, सब्जी, आदि कुछ भी बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। जिसकी वजह से लाखों लोग रोजगार से वंचित रह जाते हैं। चूँकि लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता है और कई मामलों में यह सीमित संख्या में ही उपलब्ध है, अतः लोग बिना लाइसेंस के ही कारोबार करते हैं और स्वाभाविक रूप से सरकारी अधिकारियों की जबरन वसूली अथवा रिश्वतखोरी के शिकार होते हैं। एक तरफ सरकार विभिन्न रोजगार योजनाओं तथा सब्सिडी योजनाओं में करोड़ों रुपये की राशि खर्च करती है, दूसरी ओर लोगों को ईमानदारी से कमाने से रोकती है। जबकि इन योजनाओं के लिए पैसा गरीबों से ही मिलता है, क्योंकि राजकोष का अधिकांश हिस्सा अप्रत्यक्ष कर से जमा होता है। सरकार को एक गरीब से पैसा लेकर दूसरे गरीब को मदद करना बंद करना चाहिए और गरीबों को स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ईमानदारी से कमाने देना चाहिए।

- 'जीविका स्वतंत्रता जाँच' पद्धति अपनाएँ।

सभी नये–पुराने नियम–कानूनों तथा सरकारी रेगुलेशनों की 'जीविका स्वतंत्रता जाँच' पद्धति से परीक्षा करें। क्या कोई कानून किसी को ईमानदारी पूर्वक रोजी–रोटी कमाने से रोकता है? विशेषकर कम पैसे और न्यूनतम दक्षता से शुरू किये जा सकने वाले कार्यों के मामले में? अगर हाँ, तो पुनर्विचार करें, संशोधन करें अथवा उसे हटा दें। लाइसेंस और रेगुलेशंस की समाप्ति सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए।

- निर्णय शक्ति और प्रशासनिक अधिकार वार्ड कमेटी को दें

अलग–अलग जगहों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कोई भी केंद्रीय नगर प्रशासन शहर की संपूर्ण जनता की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। अतः प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए। एक नगर निगम के प्रशासन की जगह वार्ड आधारित प्रशासन को मजबूत किया जाए। इसी के अंतर्गत सभी विकसित सार्वजनिक भूखंडों का वार्ड कमेटी के हाथों में हस्तांतरण किया जाए। मुख्य सड़क मार्गों को छोड़ कर शेष समस्त भूमि पर वार्ड कमेटी का अधिकार होना चाहिए। वार्ड कमेटी को स्थानीय मामलों का सर्वाधिक ज्ञान होता है। उसके सदस्य उन मामलों से गहरे तौर पर जुड़े होते हैं। कोई भी गलत अथवा सही निर्णय उनके जीवन को प्रभावित करता है, अतः स्वाभाविक है कि स्थानीय समस्या को सुलझाने और गलत निर्णय को सुधारने में उनकी सर्वाधिक रुचि होगी।

नये उभरते शहरी क्षेत्र अथवा उपनगर अपने प्रशासन का स्वयं प्रबंधन कर सकते हैं। शहरी भूमि प्रबंधन अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा की गयी है।

- संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दें।

प्रस्तुति

संपत्ति का अधिकार और कानून का शासन आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। संविधान में संपत्ति के अधिकार को फिर से मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए। संपत्ति का अधिकार वस्तुतः समृद्धि का अधिकार है।

सरकार को सिर्फ न्याय, पुलिस और रक्षा मामलों तक ही खुद को सीमित रखना चाहिए। और उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल न्यायिक संस्थाओं को मजबूत करने में करना चाहिए।

- लैंड–यूज / जोनिंग रेगुलेशन से मुक्त आर्थिक गतिविधियों की ओर बढ़ें।
  सर्वप्रथम दिल्ली मास्टर प्लान को खारिज कर देना चाहिए।

फिर सरकार को भूमि का अधिग्रहण करना बंद करना चाहिए। सभी अविकसित भूखंड़ों को उनके असली मालिकों को वापस करने चाहिएँ। निजी क्षेत्र को लाभ के लिए भूमि का मनोवांक्षित उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। इस संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए सामान्य नियमों (कॉमन लॉ) का उपयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत निषेध शर्त और 'डीड रिस्ट्रीक्शन' जैसे कानूनी औजारों को भी मान्यता दी जा सकती है।

'लैंड–यूज / जोनिंग रेगुलेशंस' के द्वारा भूमि का वर्गीकरण बंद किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र की मुक्त आर्थिक गतिविधियों से भूमि का स्वतः वर्गीकरण हो जाएगा।

उपर्युक्त सुधारों के माध्यम से न सिर्फ गरीबों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि अधिकाधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

100 वर्षों के अनवरत संघर्ष के बाद हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल कर ली। पर यह आजादी एक राजनीतिक आजादी थी। हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गये, पर हमारी अपनी ही सरकार ने हम पर कई प्रतिबंध लगाकर हमसे हमारी आर्थिक आजादी छीन ली। आर्थिक आजादी यानी, अपनी इच्छा से रोजी–रोटी चुनने और ईमानदारी पूर्वक रोजी–रोटी कमाने की आजादी। यद्यपि 1991 में चली उदारीकरण की हवा ने औद्योगिक क्षेत्र से लाइसेंस–परमिट–कोटा राज समाप्त कर दिया, पर गरीबों के हाथ अभी भी लाइसेंस–परमिट–कोटा रूपी सरकारी नियंत्रण की जंजीरों से बंधे हुए हैं। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी सरकारी नियंत्रण में घुट–घुट कर जीने को विवश है। इस विवशता से उबरने के लिए तथा आम जनता को आर्थिक आजादी दिलाने हेतु एक और संघर्ष चलाना होगा– आर्थिक आजादी का यह संघर्ष एक तरह से दूसरी आजादी का संघर्ष होगा। मुक्तिकामी साथियों को, जिनके जीवन का मकसद ही आजादी के लिए अनवरत लड़ना है, अब फिर से मार्चे पर आ डटना होगा। सहज विकास को बाधित करने वाली राजनीतिक–प्रशासनिक–सामाजिक सभी बेड़ियों को तोड़ फेंकना होगा। तभी स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों का बलिदान सार्थक होगा।

जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का जो सपना दिखाया था, वह सहज ही साकार हो सकता है, अगर गरीबों के हाथ खोल दिये जाएँ। गरीबों को खुशहाली हासिल करने के लिए किसी सरकार की जरूरत नहीं है। उनकी मेहनतकश फौलादी

भुजाओं में दुनिया की सारी समृद्धि अर्जित करने की ताकत है। बशर्ते सरकार उनकी क्षमता पर भरोसा करे! उनके हाथ खोल दे! उनपर बिना वजह रोक–टोक न लगाए! देश को विकसित देशों की कतार में शामिल करने का माननीय राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का सपना भी तभी साकार होगा, जब हर गरीब को यह आर्थिक आजादी हासिल होगी।

इस आर्थिक आजादी के लिए चाहिए एक और क्रांति! और इस क्रांति को राह दिखाने हेतु पुस्तक रूपी यह मशाल आपके हाथो सौंपते हुए हम काफी आशान्वित हैं।

यह पुस्तक "आर्थिक स्वतंत्रता का संघर्षः–रोजी–रोटी को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति" सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा किये गये शोधकार्यों तथा सोसाइटी की ही एक अन्य प्रकाशनाधीन पुस्तक लॉ, लिबर्टी एवं लाइवलीहुड में प्रकाशित विचारों और आँकड़ों पर आधारित है।

आशा है यह पुस्तक आपको पसंद आएगी। सरकारी महकमे में नीति निर्माण से जुड़े अधिकारियों, समाज सुधारकों, बुद्धिजीवियों, लेखकों–पत्रकारों और प्रत्येक जागरूक नागरिकों के लिए तथा राजनीतिक–प्रशासनिक सुधार कार्यों को आगे बढ़ाने में यह पुस्तक काफी उपयोगी साबित होगी।

उम्मीद है हमारा प्रयास संपूर्ण क्रांति को आगे बढ़ाने में कुछ काम आएगा।